सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 182 राँची, शुक्रवार, 4 वैशाख, 1948 (श०) / 24 अप्रैल, 2026 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

संकल्प

20 अप्रैल, 2026

संख्या-11/स्था०(अराज०)-02/2018-2339—विभागीय संकल्प-16/नि०-01/2025-3433, दिनांक-28.08.2025 (झारखण्ड गजट का असाधारण अंक सं०-440, दिनांक-23.09.2025) की कंडिका-1 (iii) द्वारा प्रथम संयुक्त भर्ती परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा की गणना की संदर्भ तिथि अर्थात 01.08.2019 निर्धारित की गई है।

2. अतः झारखण्ड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 (नियमित एवं बैकलॉग) विज्ञापन संख्या-07/2025 के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना की तिथि 01.08.2019 से की जाएगी।

3. यह सुविधा मात्र झारखण्ड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 (नियमित एवं बैकलॉग) विज्ञापन सं०-07/2025 के लिए अनुमान्य होगी । इसके पश्चात्यह सुविधा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनीषा जोसेफ तिग्गा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 182 - 50